समाहरणालय मुजफ्फरपुर
(जिला निर्वाचन प्रशाखा)

****

[illegible] 0621-2212101 [illegible]
0621-2212105 [illegible] 2217285 [illegible]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से., जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2015 को आयोजित बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2015 की तैयारी से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : यथा पंजी संधारित।

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर गठित सभी कोषांगों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों / नोडल पदाधिकारियों, सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर डाटा अपलोड करने, मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं सतत् अद्यतीकरण एवं आगामी विधान सभा चुनाव हेतु कोषांगों के द्वारा की जाने वाली तैयारियों के संबंध में बैठक की गयी। निदेश दिया गया कि अपने–अपने कोषांगों से संबंधित समस्त कार्यों का विधिवत संचालन तत्काल प्रभाव से प्रारंभ कर दें । साथ ही कोषांगों से सम्बद्ध सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों के बीच कार्यों का बँटवारा कर प्रतिदिन विभिन्न कोषांग के स्तर से किये जा रहे कार्यों की जिम्मेदारीपूर्वक समीक्षा की जाए । समीक्षा के क्रम में निर्वाचन कार्य से संबंधित सभी बिन्दुओं पर भारत निर्वाचन आयोग की मार्गदर्शिका के आलोक में आवश्यक निर्देश तथा अद्यतन जानकारियाँ सभी प्रतिनियुक्त कर्मियो एवं पदाधिकारियों को निरंतर उपलब्ध कराते रहें । अपने–अपने कोषांगों में निश्चित रूप से यह देख लें कि वर्तमान में कौन–कौन से कार्य हो चुके हैं तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान और कौन–कौन से कार्य संपादन हेतु शेष है एवं आगामी कार्ययोजना क्या है ।

(क) <u>निर्वाची पदाधिकारी एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ समीक्षा :–</u>

1. बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 के संबंध में निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर दैनिक / साप्ताहिक प्रतिवेदन अपलोड किया जाना है। समीक्षा के क्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि विभाग का साईट अभी नहीं खुल रहा है। विभाग से बात हुई है, रात तक साईट ठीक हो जायेगा और कल से डाटा अपलोड शुरू हो जायेगा। निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने वाले डाटा का चेकलिस्ट के अनुसार बिन्दुओं के बारे में अवगत कराने का निदेश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया।

2. निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण के दौरान निर्वाचकों के नामों को सम्मिलित करने एवं नामों को विलोपित करने से संबंधित ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों आदि के निष्पादन से संबंधित विवरण ई.आर.एम.एस. पर प्रतिदिन अद्यतन स्थिति को अपलोड किया जाना है। इस हेतु सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने विधानसभा प्रपत्र 6 एवं 7 नियमित रूप से मतदान केन्द्रस्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर डाटा प्रविष्टि हेतु वेंडर को उपलब्ध करायें। प्रविष्टि के उपरांत ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों पर विधिवत् निष्पादन करते हुए प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को उलब्ध करायें।

जिले में नये योगदान करने वाले निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्रपत्र 6 एवं 7 की निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृति एवं अस्वीकृति हेतु अपना–अपना डिजीटल हस्ताक्षर एवं अद्यतन सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायें। यह भी निदेश

दिया गया कि नये निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी निर्वाचन कार्यालय से अपना–अपना लॉगइन एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें।

3. सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों से निर्वाचन विभाग के वेबसाईट पर दैनिक/साप्ताहिक अपलोड किया जाने वाला प्रतिवेदन प्रतिदिन प्राप्त करें। इस हेतु उप निर्वाचन पदाधिकारी को एक प्रपत्र तैयार करने का निदेश दिया गया। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से प्रतिदिन प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में विशेष दूत के माध्यम से हस्तगत कराया जायेगा और निर्वाचन कार्यालय से द्वारा प्रतिवेदन विभाग से साईट पर प्रतिवेदन अद्यतन अपलोड किया जाएगा।

4. समीक्षा के क्रम में मीनापुर विधानसभा अंतर्गत मीनापुर प्रखंड में प्रपत्र 6, 7 एवं 8 का प्रतिवेदन शून्य पाया गया। मीनापुर विधानसभा के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन शून्य होने के संबंध में संबंधितों से स्पष्टीकरण प्राप्त करें और अवगत करायें।

5. सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने–अपने सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं मतदान केन्द्रस्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करें एवं यदि मतदान केन्द्रस्तरीय पदाधिकारी काम सही ढंग से नहीं करता है तो उसे स्पष्टीकरण करें, कार्रवाई करें एवं नये मतदान केन्द्रस्तरीय पदाधिकारी हेतु प्रस्ताव दें।

6. सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को पूर्व के बैठक में निदेश दिया गया था कि कम से कम 20 ऐसे मतदान केन्द्रों को चिन्हित कर के सूची देना है जहाँ स्त्री एवं पुरुष अनुपात काफी कम है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के द्वारा उक्त सूची उपलब्ध नहीं कराया गया है। पुनः निदेश दिया गया कि ऐसे मतदान केन्द्रों की सूची उपलब्ध करायें जहाँ स्त्री–पुरुष अनुपात काफी कम है और ऐसे मतदान केन्द्रों की जाँच करायें कि महिलओं के नाम तो छूटे हुए नहीं हैं। कुछ टोले–मुहल्ले में स्वयं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी जाँच करें और मतदाताओं से पूछताछ करें।

7. समीक्षा के क्रम में बरूराज विधान सभा अंतर्गत मोतीपुर में प्रपत्र 6, 7 एवं 8 प्राप्त करने एवं निष्पादन की प्रगति काफी अच्छी नहीं पाई गयी। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रखंड में जाकर सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं मतदान केन्द्रस्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करें एवं दोषी पदाधिकारी एवं कर्मी के विरुद्ध स्पष्टीकरण करें।

8. जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधा मतदान केन्द्र का भवन स्थानांतरित करने एवं मतदान केन्द्र परिवर्तित करने के संबंध में सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुजफ्फरपुर एवं पारू विधान सभा को छोड़कर किसी भी विधानसभा से मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारिंयों को निदेश दिया गया कि सभी मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन कराकर प्रतिवेदन दिनांक 18.08.2015 के शाम तक जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि ऐसे मतदान केन्द्र जहाँ पर 1600 से अधिक मतदाता हैं, वैसे मतदान केन्द्र पर सहायक मतदान केन्द्र हेतु प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

यदि मतदान केन्द्र निजी भवन में चल रहा है तो उसे परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही ऐसे भवन जहाँ पर 4 से अधिक मतदान केन्द्र हैं, वैसे भवन से कुछ मतदान केन्द्र को अलग करने हेतु नये मतदान केन्द्र का प्रस्ताव उपलब्ध करायें।

ऐसे मतदान केन्द्र जहाँ पर पहुँच पथ का अभाव है, पथ क्षतिग्रस्त है या बाढ़ के कारण मतदान केन्द्रों तक जाना संभव नहीं है, ऐसे मतदान केन्द्रों से संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से पथों की मरम्मति कराने अथवा पैच कराने हेतु प्रतिवेदन प्राप्त करें।

9. ईपिक वितरण की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल 64876 मतदाताओं का नया ईपिक तैयार किया जाना था और पुराना ईपिक 671 तैयार है। इस प्रकार कुल 65547 ईपिक तैयार है, जिनमें से 51975 ईपिक प्रखंडों को वितरण हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। यह भी बताया गया कि बोचहाँ, सकरा और बरूराज के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के फैसिमली तैयार नहीं होने के कारण ईपिक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो सका है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के फैसिमली शीघ्र उपलब्ध करायें ताकि ईपिक पूर्ण रूप से तैयार कर वितरण हेतु प्रखंडों को हस्तगत कराया जा सके। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को ईपिक वितरण की प्रगति का प्रतिवेदन मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कराने का निदेश दिया गया।

सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के साथ मतदान केन्द्रस्तरीय पदाधिकारी को मतदान केन्द्रों पर बैठाना है और मतदाताओं को सूची दिखाना है और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, नाम हटाना है अथवा सुधार कराना है, उनसे प्रपत्र 6, 7 एवं 8 प्राप्त किया जाना है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने–अपने विधान सभा के सभी मतदान केन्द्रस्तरीय पदाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि सभी मतदान केन्द्रों पर सूची का प्रकाशन करा दिया गया है।

10. मतदाता सूची से जिन मतदाओं का नाम विलोपित किया गया है अथवा सूची में नाम जोड़ने हेतु दिये गये आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, उसकी विधिवत् सूचना मतदाताओं को देनी है। इसे सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सुनिश्चित करायें।

11. समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पी.जी.आर.एस. से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन कराना है और इससे संबंधित प्रतिवेदन भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जब तक इसके नोडल पदाधिकारी नहीं आ जाते हैं तब तक प्राप्त शिकायतों की जाँच कर निष्पादन के पश्चात प्रतिदिन प्रतिवेदन जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे कि कितने शिकायत प्राप्त हुए और कितने का निष्पादन कराया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी को निदेश दिया गया कि रैंडमली जाँच करें कि प्राप्त शिकायतों का सही गुणवत्ता के अनुरूप निष्पादन कराया गया या नहीं।

12. विधि–व्यवस्था से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है। बताया गया कि वरीय पुलिस अधीक्षक एवं उत्पाद अधीक्षक के यहाँ से प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

13. सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जब भी समय मिले अपने–अपने विधान सभा क्षेत्रों का निश्चित रूप से भ्रमण करें और सभी मतदान केन्द्रों के बारे में विशेष जानकारी रखें।

14. सभी निर्वाची पदाधिकारियो को निदेश दिया गया कि निर्वाची पदाधिकारी हैंडबुक बढ़िया से पढ़ लें और उसमें दिये गये निदेश के आलोक में सभी कार्य निर्धारित समय के अंदर निष्पादित करायें।

15. उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पूर्व विधान सभा चुनाव के नामांकन पत्र निकाल कर सभी निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें। यह भी निदेश दिया गया कि निर्वाचन कोषांग को बढ़िया से संचालित करें एवं सभी कार्यों हेतु प्लान तैयार कर लें।

(ख) <u>कोषांगों के वरीय/नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा :</u>

1. <u>कार्मिक कोषांग–सह–मतगणना कोषांग :</u>

समीक्षा के क्रम में नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोषांग में विभागों से प्राप्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार करने हेतु कम से कम 13 और कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराये गये कंप्यूटर ऑपरेटर से डाटाबेस तैयार कराया जाय। डाटा प्रविष्टि का पर्यवेक्षण का कार्य पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा। यह भी निदेश दिया गया कि पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के निर्वाचन कार्य में लगाये जाने हेतु मार्किंग के लिए टीम बना लिया जाय। यदि आवश्यकता हो तो सहयोग हेतु किसी वरीय उप समाहर्ता अथवा जिलास्तर से किसी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करा लें। निदेश दिया गया कि दिनांक 20.08.2015 तक डाटाबेस तैयार करा लें।

नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति पत्र का प्रारूप तैयार कर लें। नियुक्ति पत्र की तामिला हेतु सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी को चिन्हित कर लें और उसकी सूची तैयार करा लें।

2. <u>सामग्री कोषांग :–</u>

सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मतदान केन्द्र के आधार पर मतदान सामग्रियों की आवश्यकतानुसार आकलन करते हुए तत्संबंधी अधियाचना जिला निर्वाचन कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाए। अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन के द्वारा जानकारी दी गई कि निर्वाचन से संबंधित मतदान सामग्रियों का निविदा कार्य अंतिम रूप से संपादित करा ली गई है। निदेश दिया गया कि मतदान सामग्रियों का तुलनात्मक विवरणी तैयार कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिखा दें।

3. <u>विधि–व्यवस्था कोषांग :–</u>

विधि–व्यवस्था कोषांग के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि धारा 107, 110 एवं 114 के अंतर्गत कार्रवाई एवं उत्पाद अधीक्षक के द्वारा कार्रवाई का प्रतिवेदन प्राप्त हो रहा है। निदेश दिया गया कि गया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों की बैठक आयोजित करायें। साथ यह भी निदेश दिया गया कि जिला सुरक्षा समिति की बैठक दिनांक 29.08.2015 तक अवश्य करा लें।

निदेश दिया गया कि भेद्यता (Vulnerablity) से संबंधित संयुक्त प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी से अविलंब प्राप्त कर ली जाए तथा अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए।

उपरोक्त के अलावा विधि–व्यवस्था कोषांग से संबंधित सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे ।

4. प्रशिक्षण कोषांग :–

प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिलास्तर एवं प्रखण्डस्तर पर कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षक (MT) का चयन कर लिया गया है । प्रशिक्षण कार्य हेतु रोस्टर तैयार किया जा रहा है । नोडल पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग को निदेश दिया गया कि तिथिवार कार्ययोजना तैयार कर सभी कर्मियों/पदाधिकारियों का प्रशिक्षण समानान्तर रूप से संपादित किया जाए । साथ ही अन्य सभी प्रकार के प्रशिक्षण यथा राजनीतिक पार्टियों/पुलिस पदाधिकारियों/माइक्रो आब्जर्बर आदि का प्रशिक्षण कार्य हेतु भी रणनीति तैयार कर ली जाए । इस हेतु प्रशिक्षण स्थल का भी चयन भी कर लिया जाए एवं प्रशिक्षण सामग्री प्राप्त कर ली जाय।

5. व्यय अनुश्रवण कोषांग :–

व्यय अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पिछले आम चुनाव की सूची निकाल लें और सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण करा दें। अपने कोषांग के कार्यों हेतु कर्मियों को चिन्हित कर लें और अलग–अलग टीम का गठन कर लें।

6. आदर्श आचार संहिता कोषांग :–

आदर्श आचार संहिता कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पूर्व के आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में वसूली की कार्रवाई करें औरी प्रांथमिकी दर्ज कराते हुए कार्रवाई करायें। आदर्श आचार संहिता के मामले में निगरानी हेतु जिलास्तर/अनुमंडलस्तर पर एवं प्रखंडस्तर पर टीम गठित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी एवं पश्चिमी को निदेश दिया गया कि लोक संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई करें। सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, सड़क आदि जगहों पर बैनर, पोस्टर एवं अन्य प्रचार सामग्री को हटवा दें।

7. प्रेक्षक/प्रोटोकॉल कोषांग :–

निदेश दिया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सभी माननीय प्रेक्षकों के लिए आवासन स्थल, आवश्यक फर्नीचर, भोजन, वाहन, सुरक्षा, फोन, फैक्स, ऑपरेटर सहित कंप्यूटर, डिजिटल मैप, फोल्डर, आशुलिपिक एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित की जाँय। उनके आवासन हेतु जिला अतिथि गृह के अलावा मुजफ्फरपुर के अलावा जिलान्तर्गत सभी आई0बी0 की आवश्यक मरम्मती करा लिया जाए। सभी आवासन स्थल की सूची तैयार कर कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल शहरी एवं ग्रामीण/बिजनेस हेड, एस्सेल, मुजफ्फरपुर एवं आई0बी0 के विभागीय पदाधिकारियों का टीम बनाकर स्थल निरीक्षण करा ली जाए तथा आवश्कतानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

(ii) यह भी निदेश दिया गया कि माननीय प्रेक्षकों के लिए के लिए सम्पर्क पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों का भी चयन कर लिया जाए।

8 वाहन कोषाग :-

वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 हेतु अलग-अलग कार्य के अनुरूप उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों की संख्या का आकलन करते हुए उसकी सूची बना ली जाए। जिन-जिन विभागों से वाहन प्राप्त करना है उसकी भी सूची तैयार कर संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों को अधियाचना भेज दी जाए तथा अधिग्रहण करते हुए उसे प्राप्त करने की कार्रवाई की जाए। साथ ही ईंधन आपूर्ति हेतु सभी संबंधित पेट्रोल पम्प के संचालकों के साथ बैठक कर सम्बद्धता कर ली जाए। इसके अलावा वाहन कोषांग से संबंधित सभी अनुषंगी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संपादित कराने हेतु स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर ली जाए।

नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पिछले चुनाव में उपयोग होने वाले वाहनों एवं पेट्रोल पंप मालिकों का भुगतान लंबित हो तो उसे भुगतान करा दें। साथ ही सभी पेट्रोलियम डिलर एसोसिशनों की बैठक बुलाने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

ह०/-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-
जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 1141 /निर्वा., दिनांक 19/08/2015

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 हेतु गठित सभी कोषांगों के वरीय/नोडल/प्रभारी पदाधिकारियों/निर्वाची पदाधिकारियों/सभी निर्वाचक निबंधन पदधिकारियों/उप निर्वाचन पदाधिकारी/अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारियों/सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/08/15
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-
जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर।